कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / एफ.21 / स्था. / 2011 / 4804 दिनांक :: 27 अप्रैल, 2011

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के विरूद्ध एवं प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न माननीय न्यायालयों में दायर किये जाने वाले विभिन्न न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी मोनेटरिंग करने की दृष्टि से निम्न अनुसार आदेश जारी किये जाते हैं:-

1- प्राधिकरण के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों के संबंध में निम्न पैशानी में रजिस्टर तैयार किया जावे एवं निदेशक-विधि के स्तर पर प्रति सोमवार समीक्षा की जाकर रिपोर्ट सचिव / आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे:-

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	माननीय न्यायालय का नाम	प्रकरण का अनवान	आदेश / निर्णय की दिनांक	आदेश / निर्णय का सांराश	पालना हेतु उत्तर दायी अधिकारी का विवरण	पालना के लिए की गई कार्यवाही का विवरण	संबंधित प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के हित में दायर किये गये प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी।

2- प्राधिकरण या प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों के मामले में विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश प्राधिकरण के विरूद्ध पारित कर दिये जाते हैं और ऐसे स्थगन आदेशों की आड़ में अतिक्रमी का कब्जा निरन्तर रहता है। ऐसे प्रकरणों की विशेष तौर पर समीक्षा की जावे एवं यदि आवश्यक हो तो संबंधित जोन उपायुक्त स्वयं माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर प्राधिकरण के हित में स्थगन आदेश रिक्त कराये जाने की कार्यवाही करें। निदेशक-विधि ऐसे प्रकरणों की सूची जोनवार तैयार कर संबंधित उपायुक्त को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 तक उपलब्ध करायेंगे एवं भविष्य में ऐसे प्रकरणों में जोन उपायुक्त / तहसीलदार को ही प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही करेंगे।

3- माननीय न्यायालयों में लम्बित अवमानना प्रकरणों की सूची भी तत्काल तैयार की जावे एवं ऐसे प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा सचिव, प्राधिकरण के स्तर पर कराया जाना निदेशक-विधि सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प. 12 (336) नविवि / 2008 दिनांक 7 अप्रैल, 2011 द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग से प्राप्त अ.शा.टीप क्रमांक प. 15 (24) राज / वाद / 91 पार्ट जयपुर दिनांक 17 मार्च, 2011 की प्रति मय संग्लक प्रेषित की है। जिसमें श्री आर.एल. जॉगिड़, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये हैं, की पालना सुनिश्चित की जावे।

4- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ~~एवं अधीनस्थ न्यायालयों~~ में लम्बित प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति सचिव व आयुक्त के अनुमोदन से की जावे। सामान्यतः लेखा संबंधी मामलों में वरिष्ठ लेखाधिकारी को, स्थापना शाखा से संबंधित मामलों में प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, विकास कार्यों से संबंधित मामलों में संबंधित